रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032024-252893 CG-DL-E-12032024-252893

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945

No. 168]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

सं. 14/2024-सीमाशुल्क

सा.का.नि.180(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयातित सोना, जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 7108 के अंतर्गत आता है, को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट एवं तदानुसार उद्गहणीय संपूर्ण सीमा शुल्क से एवं वित्त अधिनियम 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के अंतर्गत लगने वाले संपूर्ण कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर से छट देती है।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/79/2023-टीओ (टीआरयू-1)]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

1859 GI/2024 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2024

No. 14/2024 - Customs

G.S.R. 180(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts gold falling under Customs Tariff Heading 7108 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India by Reserve Bank of India, from the whole of the duty of customs leviable thereon as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and from the whole of Agriculture Infrastructure and Development Cess, leaviable under Section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021).

[F. No. CBIC-190354/79/2023-TO(TRU-I)]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.